

## स्कूटी लेकर फरार अभि० दिल्ली से गिरफ्तार

दिनांक 02-11-23 को एक वयक्ती द्वारा थाना मुनि की रेती पर सूचना दी कि मेरे आइसक्रीम पार्लर में काम करने वाले संजीव कुमार पुत्र रामफल निवासी कैथल हरियाणा द्वारा दिनांक 28.10.23 को मेरी आइसक्रीम पार्लर से मेरी स्कूटी न० UK 14B 4454 व मेरा मोबाइल फोन मांग कर ले जाने, मांगने पर वापस न करने के आधार पर थाना मुनि की रेती पर मुकदमा अपराध संख्या : 96/23 धारा 406 आईपीसी पंजीकृत किया गया।

अभियोग के सफल अनावरण के हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद टिहरी गढ़वाल के आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक, मुनि की रेती के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। विवेचना के दौरान माल/मुलजिमान को तलाश करने के काफी प्रयास करने के उपरांत अभियुक्त मोबाइल नंबर बार-बार बदलकर तथा अपने ठिकाने को भी बार-बार बदल रहा था । मोबाइल लोकेशन से सफलता न मिलने के कारण पुलिस टीम द्वारा कई दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, नोएडा, फरीदाबाद में अभि० को काफी तलाश किया गया। दिनांक 02.02.2024 को पुलिस टीम द्वारा किए गए अथक प्रयासों से अभियुक्त संजीव कुमार पुत्र रामफल निवासी ग्राम कैलरम, थाना कलायत, कैथल हरियाणा (उम्र 29वर्ष) के दिल्ली में होने की जानकारी। पुलिस टीम द्वारा द्वारिका, दिल्ली से समय 1915 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसने स्कूटी को रेलवे स्टेशन देहरादून में खड़ा किया जाना बताया अभियुक्त की निशादेही पर स्कूटी को देहरादून से बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि उसके द्वारा सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किया हुआ है। ऑनलाइन जुआ खेलने की आदत लगने के कारण उसके द्वारा पैसों के लालच में स्कूटी बेचने के लिए घटना कारित की गई ।

### पुलिस टीम का विवरण:-

- 1- प्रभारी निरीक्षक थाना मुनि की रेती श्री रितेश साह।
- 2- व०३०नि० श्री योगेश चंद्र पाण्डेय।
- 3- ३०नि० श्री योगेश खुमरियाल (विवेचक)
- 5- हे०का० 34 अजय वीर
- 6- का० 44 रविन्द्र नेगी सी०आई०यू० टिहरी गढ़वाल।

# थाना मुनि की रती

## (जनपद - टिहरी गढ़वाल)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
मो. नं. : 9411114544  
कार्यालय नं. : 01376-232162

प्रभारी निरीक्षक  
मो. नं. : 9411112842  
कार्यालय नं. : 7579228806

सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005

1. सूचना का अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के अन्तर्गत सूचना के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सूचना का अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के अन्तर्गत सूचना के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सूचना का अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के अन्तर्गत सूचना के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

क्र.सं.	सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005
1	सूचना का अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के अन्तर्गत सूचना के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
2	सूचना का अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के अन्तर्गत सूचना के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
3	सूचना का अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के अन्तर्गत सूचना के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
4	सूचना का अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के अन्तर्गत सूचना के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
5	सूचना का अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के अन्तर्गत सूचना के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

